

सं0सं0-1/प0अ0-09/2017- ४7(1)ब0

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि-पत्र


स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना के राज्यादेश सं0-663(1), दिनांक-15.06.2017 एवं आवंटनादेश सं0-26(1)ब0, दिनांक-23.06.2017 तथा सह-पठित शुद्धि पत्र सं0-56(1)ब0 दिनांक-31.10.2017 के क्रम में निम्नरूपेण संशोधन किया जाता है-

(1) राज्यादेश सं0-663(1), दिनांक-15.06.2017 में कंडिका-13 एवं आवंटनादेश सं0-26(1)ब0, दिनांक-23.06.2017 में कंडिका-11 निम्नरूपेण जोड़ा जाता है-

“राशि की अग्रिम निकासी में मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।”

(2) विभागीय राज्यादेश सं0-663(1), दिनांक-15.06.2017 एवं आवंटनादेश सं0-26(1)ब0, दिनांक-23.06.2017, सह-पठित शुद्धि पत्र सं0-56(1)ब0 दिनांक-31.10.2017 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

(3) विभागीय राज्यादेश सं0-663(1), दिनांक-15.06.2017 एवं आवंटनादेश सं0-26(1)ब0, दिनांक-23.06.2017, सह-पठित शुद्धि पत्र सं0-56(1)ब0 दिनांक-31.10.2017 की शेष शर्तें पूर्ववत् रहेगी।



(सच्चिदानन्द चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव


ज्ञापांक-1/प0अ0-09/2017- ४7(1)ब0 /स्वा0, पटना, दिनांक- 12-01-18

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्राचार्य/अधीक्षक, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1/प्रशाखा पदाधिकारी, लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्राक्कलन प्रमण्डल सं0-1, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव

सं०सं०-1/प०अ०-09/2017-

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि-पत्र

स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना के राज्यादेश सं०-663(1), दिनांक-15.06.2017 एवं आवंटनादेश सं०-26(1)ब०, दिनांक-23.06.2017 को निम्नरूपेण संशोधित किया जाता है-

1- राज्यादेश सं०-663(1), दिनांक-15.06.2017 एवं आवंटनादेश सं०-26(1)ब०, दिनांक-23.06.2017 की कंडिका-5 एवं 6 को निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है-

"5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

6. अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा राशि की निकासी बी०टी०सी० फॉर्म-26 पर करते हुए बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राशि विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमण्डल सं०-1, भवन निर्माण विभाग, पटना को उपलब्ध कराई जायेगी। कार्य प्रमण्डल द्वारा राशि की निकासी आवश्यकतानुसार की जायेगी।"

2- विभागीय राज्यादेश सं०-663(1), दिनांक-15.06.2017 की कंडिका-12 एवं आवंटनादेश सं०-26(1)ब०, दिनांक-23.06.2017 की कंडिका-9 को निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है-

"राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी।"

3- विभागीय राज्यादेश सं०-663(1), दिनांक-15.06.2017 एवं आवंटनादेश सं०-26(1)ब०, दिनांक-23.06.2017 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

4- विभागीय राज्यादेश सं०-663(1), दिनांक-15.06.2017 एवं आवंटनादेश सं०-26(1)ब०, दिनांक-23.06.2017 की शेष शर्तें पूर्ववत् रहेगी।

(सचिवदानन्द चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-1/प०अ०-09/2017-56(1)ब० /स्वा०, पटना, दिनांक- 31 / 10 / 2017
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्राचार्य/अधीक्षक, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा० मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1/प्रशाखा पदाधिकारी, लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्राक्कलन प्रमण्डल सं०-1, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

सं०सं०-1/प०अ०-09/2017-26(1)वृ
 बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानन्द चौधरी,
 सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अधीक्षक,
 पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल,
 पटना।

पटना, दिनांक-23/6/2017

विषय:- पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना के शिशु रोग विभाग के NICU Extension में विद्युतीकरण कार्य हेतु विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमण्डल संख्या-1, भवन निर्माण विभाग, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आलोक में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल प्राक्कलित राशि रू० 9,75,062/- मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में रू० 9,75,062/- (रुपये नौ लाख पचहत्तर हजार बासठ) मात्र के आवंटन की स्वीकृति।


महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश सं०-663(1) दिनांक-15.06.2017 द्वारा पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना के शिशु रोग विभाग के NICU Extension में विद्युतीकरण कार्य हेतु विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमण्डल संख्या-1, भवन निर्माण विभाग, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आलोक में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल प्राक्कलित राशि रू० 9,75,062/- मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में रू० 9,75,062/- (रुपये नौ लाख पचहत्तर हजार बासठ) मात्र के आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपरोक्त कार्य विद्युत प्राक्कलन प्रमण्डल सं०-1, भवन निर्माण विभाग, पटना के माध्यम से कराया जाएगा। विद्युत प्राक्कलन प्रमण्डल सं०-1 द्वारा निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाएगा :-

- (क) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ली जाएगी की संबंधित कार्य किसी अन्य राज्य स्कीम से नहीं कराया जा रहा हो या कराया गया हो।
- (ख) विद्युत प्राक्कलन प्रमण्डल तैयार प्राक्कलन के आधार पर ही कार्य करायेंगे।
- (ग) राशि की निकासी कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार करेंगे।
- (घ) कार्य का सघन पर्यवेक्षण विद्युत कार्य विभाग द्वारा अधिकृत, नामित/एजेंसी द्वारा कराया जाएगा ताकि कार्य की गुणवत्ता बनी रहे।
- (ङ) कार्य निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत हो यह सुनिश्चित कराया जाए।
- (च) विद्युत प्राक्कलन प्रमण्डल द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा जब तक कार्य पूर्ण नहीं हो जाए।


3. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि०(2) दिनांक-17.04.1998, 2880/वि०(2) दिनांक-06.05.06, 2938/वि०(2) दिनांक-08.04.08 एवं 2199/वि० दिनांक-24.03.2017 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।



क्रमशः

4. इस राशि का वहन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0001-पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना, विपत्र कोड-20-2210011100001 के अंतर्गत 0001.27.02 अनुरक्षण एवं मरम्मत ईकाई में वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से की जाएगी।
5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अधीक्षक, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।
6. अधीक्षक, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना इस राशि को बी0टी0सी0 फॉर्म सं0-46 में निकासी कर खाता अन्तरण के माध्यम से विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्राक्कलन प्रमण्डल सं0-1, भवन निर्माण विभाग, पटना को राशि हस्तांतरित करने की आवश्यक कार्रवाई करेंगे। इस राशि को निर्धारित Deposit शीर्ष में जमा करने के लिये चालान भी साथ-साथ कोषागार में समर्पित किया जाय। इस विपत्र में अंकित राशि का भुगतान नगद रूप में नहीं किया जायेगा बल्कि इसका भुगतान कोषागार द्वारा खाता अन्तरण के माध्यम से किया जायेगा। राशि की निकासी आवश्यकतानुसार की जायेगी।
7. विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्राक्कलन प्रमण्डल सं0-1, भवन निर्माण विभाग, पटना इस राशि को वर्क डिपोजिट शीर्ष में लेकर कार्य को करायेंगे। विद्युत कार्य विभाग डी0सी0 बिल महालेखाकार, बिहार को सीधे भेजेंगे तथा उसकी प्रति स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
8. इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
9. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, पटना से की जायेगी।
10. इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन /


23/6/17
(सचिवदानन्द चौधरी)


सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-1/प0अ0-09/2017- 26(1) १० /स्वा0, पटना, दिनांक- 23/ 6 /2017
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/प्राचार्य, पटना मेडिकल कॉलेज, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1/कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्राक्कलन प्रमण्डल सं0-1, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


23/6/17
सरकार के विशेष सचिव